

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 जुलाई 2017—श्रावण 9, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्र. एफ 7-35-2013-उन्तीस-1.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 20) की धारा 16 की उपधारा (1) एवं (2) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के अध्याय 5 में किये गये प्रावधानों के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग में निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है:—

क्रमांक (1)	नाम एवं पता (2)	पद (3)
1.	श्री गोरेलाल अहिरवार, ग्राम झरकुआँ, पोस्ट-कुदरा, थाना-अमानगंज, तहसील, अमानगंज जिला पन्ना, मध्यप्रदेश.	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्र. एफ 7-35-2013-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 31st July 2017

No.F-7-35-2013-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred under Section 16 (1) and (2) of the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013) and in compliance to the provisions contained in Chapter V of the Madhya Pradesh Food Security Rules, 2017, the State Government hereby appoints the following person in the Madhya Pradesh Food Commission on the post corresponding to their names mentioned hereunder for the period of 5 years or on attaining the age of 65 years, whichever is earlier from the date of his joining:—

S. No. (1)	Name and Address (2)	Post (3)
1.	Shri Gorelal Ahirwar, Village-Jharkuan, Post-Kudra, Thana-Amaanganj, Tehsil-Amaanganj, District-Panna, Madhya Pradesh.	Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.